राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3027/2024

रजनी कुमारी

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारभिंक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारंभिक शिक्षा, धौलपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 01.10.2024
आदेश की दिनांक : 07.10.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री नगेंद्र शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी ने प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक लेवल–।। के पदों पर भर्ती के लिए बी.ए. एवं बी.एड. योग्यता प्राप्त की है तथा ओबीसी महिला वर्ग के अंतर्गत अध्यापक ग्रेड–।।। लेवल–2 (सामाजिक विज्ञान) के पद के लिए आवेदन किया है तथा चयन प्रक्रिया में रोल नं. 105106873 के अंतर्गत भाग भी लिया है। तत्पश्चात प्रत्यर्थी विभाग ने परिणाम घोषित किया, जिसमें अपीलार्थी ने कुल 72.670 अंक प्राप्त किए तथा लेवल–2 के पद के लिए पात्र पाया गया। आदेश दिनांक 11.1.2021 के द्वारा अपीलार्थी प्रतीक्षा सूची में रखकर उक्त पद के लिए अनंतिम रूप से चयनित किया गया तथा तत्पश्चात दिनांक 18.1.2021 के आदेश द्वारा अपीलार्थी को जिला धौलपुर आवंटित किया गया। (अनुलग्नक–1) उसके बाद कुछ अभ्यर्थियों ने राकेश गोदारा नाम से रिट याचिका संख्या 2039/2021 और अन्य रिट याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय मुख्य सीट जोधपुर के समक्ष दायर कीं और माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 10.2.2021 के आदेश के तहत प्रत्यर्थी विभाग को नियुक्ति आदेश जारी करने से रोक दिया और बाद में आदेश दिनांक 18.02.2021 के अनुसार अंतरिम आदेश दिनांक 10.2.2021 को संशोधित किया गया है, जिसके

अनुसार प्रत्यर्थी विभाग अंग्रेजी विषय को छोड़कर सभी विषयों के लिए शिक्षक ग्रेड– III लेवल–2 के पद पर सभी चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति जारी करने के लिए स्वतंत्र होंगे। (अनुलग्नक–2 व 3) आदेश दिनांक 10.02.2021 में संशोधन करते हुए अन्य जिलों के संबंधित अधिकारी ने दिनांक 19.2.2021 के आदेश द्वारा अंग्रेजी विषय के अलावा अन्य चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी है, लेकिन जिला धौलपुर में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई है। (अनुलग्नक–4) उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 25.2.2021 के आदेश के तहत प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया कि वे कुलदीप कुमार के मामले के आदेश को जारी किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लागू करें और सभी विषयों के लिए शिक्षक ग्रेड– III लेवल –2 के लिए एक नई चयन सूची तैयार करें, हालांकि न तो नए नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे, न ही पहले से जारी नियुक्ति आदेश अगली तिथि तक रद्द किए जाएंगे। (अनुलग्नक–5) तत्पश्चात माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 22.3.2022 के आदेश द्वारा सभी रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। उपरोक्त रिट याचिकाओं के खारिज होने के पश्चात प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को दिनांक 26.3.2022 के आदेश के तहत नियुक्ति प्रदान की तथा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गढ़ी दुवती में पदस्थापित किया तथा नियुक्ति आदेश के अनुपालन में अपीलार्थी ने दिनांक 26.3.2022 को उक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। (अनुलग्नक–6व7) प्रत्यर्थी विभाग ने प्रतीक्षा सूची के अन्य चयनित उम्मीदवारों को 19.2.2021 को अन्य जिले में नियुक्ति दी है, जबकि अपीलार्थी को 1 वर्ष से अधिक समय के बाद दिनांक 26.3.2022 के आदेश द्वारा नियुक्ति दी गई है और इसलिए अपीलार्थी उसी चयन प्रक्रिया में अन्य जिले में समान स्थिति वाले व्यक्तियों को नियुक्ति की तिथि से काल्पनिक लाभ दिए जाने के लिए कानूनी रूप से हकदार हैं, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने अभी भी अपीलार्थी को काल्पनिक लाभ से वंचित रखा है। इसी तरह के विवाद का निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा मनोज खंडेलवाल एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य के मामले में 16.7.2014 को लिया जा चुका है। एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 7283/2014 का निर्णय दिनांक 16.7.2014 को लिया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय ने माना था कि योग्यता के निचले क्रम में आने वाले उम्मीदवार केवल इसलिए पात्र नहीं हो सकते क्योंकि उन्होंने पहले न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। अपीलार्थी के पास ऐसी स्थिति में आने के लिए कार्रवाई का एक नया कारण था और उनकी रिट याचिका को या तो पुनर्विचार के रूप में या ठीक से गठित न होने के कारण रोका नहीं गया था। इसने प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया कि वे

अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग से वरिष्ठ मानें, जो योग्यता के निचले क्रम में थे और इसके अलावा जहां राज्य अधिकारियों की गलती के कारण नियुक्तियों में देरी हुई थी, उम्मीदवारों को नियुक्ति की तारीख से नियुक्ति दी गई थी, उन्हें सेवाओं के सभी परिणामी लाभ प्रदान किए गए हैं। मनोज खंडेलवाल (सुप्रा) में पारित निर्णय के आलोक में, माननीय न्यायालय ने भी इसी तरह के विवाद का फैसला किया है, राजाराम मेना और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य के मामले में दिनांक 9.9.2020 का आदेश एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 8462/2020 और सपना कुमारी गुप्ता बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 9624/2023) के मामले में दिनांक 19.7.2023 का आदेश, जिसमें प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया गया है कि वे प्रतिनिधित्व प्राप्त होने की तारीख से 8 सप्ताह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार अपीलार्थी के प्रतिनिधित्व पर विचार करें और अपीलार्थी को उसी तिथि से काल्पनिक लाभ प्रदान किया जाएगा, जिस तिथि से उनके समान स्थिति वाले तथा योग्यता में निम्नतर व्यक्तियों को नियुक्ति दी गई थी।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी को शिक्षक ग्रेड–III लेवल–2 (सामाजिक विज्ञान) एवं अन्य विषय के पद पर उसी वर्ष 2018 की प्रक्रिया के अनुसार चयन के साथ अन्य अभ्यर्थियों को दिए गए परिणामी लाभ की तिथि से काल्पनिक लाभ अर्थात वरिष्ठता, वेतन वृद्धि और अन्य लाभ प्रदान किए जावे

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना एवं बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के

नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य